नकलात / इस्तगासा
146/12

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही तब [illegible] |
|---|---|
| 14/12/22 | पत्रावली पेश हुई। लीक अभियुक्त अपना [illegible] पत्रावली पर आदेश दि० 19/12/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर |
| 19/12/22 | पत्रावली पेश हुई। लीक अभियुक्त अभि प्रार्थी आवेदन [illegible] धारा 211 दण्ड सं० अ.वि. स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शीघ्र पत्रावली। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्तर के काबिल हो। अग्रिम निर्णय खुले-बाजार के समयानुसार पश्चात हो। निर्णय खुले-बाजार के समयानुसार पश्चात हो। सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर |